सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 04.04.2026

- **चोरी की घटना का 36 घंटे के भीतर सफल अनावरण।**
- **सर्राफा व्यापारी की दुकान से अंगूठी चोरी करने की घटना का त्वरित अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 10 सोने की अंगूठियां (शत-प्रतिशत) व 01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस बरामद।**
- अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण मे **थाना भरथना** पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.04.2026 को वादी सचिन कुमार वर्मा पुत्र वीरेन्द्र सिंह वर्मा निवासी मोहल्ला महावीर नगर कस्बा व थाना भरथना जनपद इटावा ने थाना भरथना पर तहरीरी सूचना दी कि थाना क्षेत्रान्तर्गत बजाजा लाइन स्थित वादी की सर्राफा दुकान से अज्ञात युवक द्वारा अंगूठी देखने के बहाने लगभग 23 ग्राम सोने की अंगूठियां चोरी करने की घटना कारित की गई थी। तहरीर के आधार पर **थाना भरथना** पर **मु0अ0सं0 87/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0** पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना भरथना से पुलिस टीम गठित की गयी ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 04.04.2026 को थाना भरथना पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम द्वारा **मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मदन मोहन को नगला डरू तिराहे से गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से चोरी की गयी 10 सोने की अंगूठियां (वजन करीब 23 ग्राम) तथा 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुये । पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से दुकान में चोरी की थी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना भरथना पंजीकृत मु0अ0सं0 87/2026 धारा 303(2) बीएनएस मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं मु0अ0सं0 89/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

मदन मोहन पुत्र जीवन सिंह निवासी ग्राम नगला आशाराम मौजा बेटियापुर, थाना भरथना, जनपद इटावा (उम्र करीब 19 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग :-

1. मु0अ0सं0 87/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस थाना भरथना, इटावा।
2. मु0अ0सं0 89/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना, इटावा।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 87/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस बी0एन0एस थाना भरथना, इटावा।
2. मु0अ0सं0 89/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना, जनपद इटावा ।
3. मु0अOसं0 397/2025 धारा 115(2)/125(a)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना भरथना जनपद इटावा ।

बरामदगी :-

1. 10 सोने की अंगूठियां (वजन करीब 23 ग्राम)।
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
3. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

पुलिस टीम :- प्रभारी निरीक्षक श्री विक्रम सिंह थाना भरथना, उ0नि0 तन्मय चौधरी मय टीम ।